

राजीनामा तथा बंटवारानुसार चक नं. 5 एफटीपी के प.नं. 216/242 मु.नं. 41 के कि.नं. 22/0.253 में 0.013 है. रास्ता उतर से दक्षिण कि.नं.22 की पश्चिमी सीमा पर अपनी-अपनी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे तथा प.नं.216/242 मु.नं. 41 के कि.नं. 16 /0.013 खाला दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम भूमि की सिंचाई हेतु खाला स्वीकृत फरमाया जावे। चक नं. 7 एफटीपी के खाता संख्या 165 में प.नं. 220/247 मु.नं. 49 कि.नं. 4,7 से 9,14/1.265 है.यथावत सूची के नाम रहेगी। प्रथम पक्ष के वादी संख्या 3 महेन्द्रसिंह व महेन्द्र कुमार दोनों नाम वादी संख्या 3 महेन्द्रसिंह के है,जमाबन्दी में महेन्द्र कुमार तथा राशन कार्ड,पहचान पत्र आदि में महेन्द्रसिंह अंकित है तथा वादीया संख्या 1 सावित्री का नाम पहचान पत्र,आधार कार्ड,आदि में सावित्रीदेवी अंकित है व राजस्व रिकार्ड में सावित्री नाम अंकित है उक्त दोनों नाम सावित्री व सावित्री देवी वादीया संख्या 1 के है। उपरोक्त राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने व पक्षकारों को काश्तकार घोषित व खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 20-3-2018 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20-3-2018 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी टिब्बी